न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/2016

1. बुधराम पुत्र सीवला
2. मखनराम पुत्र सीवला
3. बाजीराराम पुत्र सीवला
4. चिड़ीदेवी पत्नी सीवला

अकवाम सांसी सा0 7 जी.डी.एम. अरजनोतपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांटस

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956

अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 12.04.2007

उपस्थिति—

श्री राकेश कुमार अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 2-7-2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रार्थी सीवला ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष चक 7 जी.डी.एम.के मु.नं. 221/26 के कि.नं. 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन करने हेतु प्रा.पत्र पेश किया।

(A) दिनांक 07.12.94 को प्रार्थी मखनराम ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि सिवला की दिनांक 20.11.94 को मृत्यु हो गई है। अतः वारिसान के हक में मृतक के बजाए टी.सी. पुख्ता आवंटन करने की कार्यवाही फरमायी जावे।

(B) दिनांक 18.04.95 को सिवला की बेवा चीड़ी ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति मृत होने की सूचना प्रार्थीया के पुत्र ने पहले ही दे दी है। अतः निवेदन है कि पुख्ता आवंटन का जो प्रा.पत्र पेश किया है। उसके मुताविक पुख्ता आवंटन किये जाने की कृपा करावे।

(C) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 12.04.07 से प्रार्थीया चिडिया बेवा सिवाय का प्रा.पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज कर दिया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(i) विद्वान अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अपीलांट्स के पिता/पति के नाम रोही सुरजनसर तहसील सूरतगढ के ख.नं. 28 में 25.00 अस्थाई आवंटन का लगातार नवीनीकरण होता रहा है। खसरा चक प्लान पैमूद होने पर वाके चक 7 जी.डी.एम. के प.नं. 221/26 कि.नं. 1 ता 25 25.00 बीघा पैमूद हुआ। अनकमाण्ड रकबा वर्षा पर आधारित फसल होने के कारण परिवार को पालना पोषण के लिए ध्याडी मजदूरी के लिए अन्य जगह जाना पडता है। वकील ने कहा कि अभी किसी प्रकार की पुख्ता आवंटन की कमेटी नहीं बैठी है इसलिए टी.सी. से पुख्ता आवंटन के लिए कमेटी का गठन होगा तो तुम्हें सुचना कर देंगे। दिनांक 19.02.2016 को वकील से सम्पर्क करने पर जानकारी हुई की अपीलांट्स की पत्रावली खारिज हो चुकी है। अपील देरी से पेश करने बाबत दफा 5 का प्रा.पत्र पेश किया जिसमें देरी बाबत समुचित कारण अंकित किये गये है। अतः निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध लगभग 9 वर्ष बाद पेश की है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। अतःनिवेदन है कि अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पुख्ता आवंटन की पत्रावली में कार्यवाही वर्ष 1997 से विचाराधीन है व पक्षकारों को नोटिस देकर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के अवसर पर्याप्त रूप से दिये गये। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली में उनके अभिभाषक के जरिये पैरवी की जाती रही। तत्पश्चात अंततः 2007 में पत्रावली साक्ष्य व सबूतों के अभाव में निर्णित कर आवंटन निरस्त किया गया। 20 वर्ष से उक्त पत्रावली लम्बित रही व कार्यवाही की जानकारी उन्हें थी तत्पश्चात भी 9 वर्ष बाद अपील बिना अनुचित विलंब के नहीं कही जा सकती।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(b) पत्रावली से स्पष्ट है कि वर्ष 2007 में प्रार्थी का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र सबूतों के अभाव में खारिज हुआ जिसकी अपील 9 वर्ष पश्चात सन् 2016 में की जाकर इस न्यायालय से एकतरफा स्थगन प्राप्त किया जो अयुक्तियुक्त है।

(c) पत्रावली लम्बे समय से बहस में है, बहस सुनी गई। मामले में अपीलांट ने अपने अपील ग्रीमों से इतर अन्य नये दस्तावेज व तथ्य अपील में पेश नहीं किये गये, ना ही अपील अत्याधिक विलंब से पेश करने का कोई सारभूत कारण प्रस्तुत किया।

(d) पत्रावली में अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते तथा मामलें को सारहीन पाते हैं। अपीलांट का आवंटन अस्थाई था जिसकी शर्तों की पालना में कृषि करना शामिल है। ऐसा आवंटन वर्षानुवर्षों आधार पर उपरोक्त शर्त की पालना पर ही नवीनीकरण होता है। अपीलांट अधी. न्यायालय में उक्त तथ्य साबित करने में असमर्थ रहे। अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का सारभूत आधार नहीं पाते एवं निर्णय दिनांक 12.04.2007 बहाल रखा जाता है।

फलस्वरूप अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2-7-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर